दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) CIN- U31200UP2003SGC027460 GSTIN:09AACCD0695D1ZS

पत्रांक: 5921 / प्र.नि. / द.वि.वि.नि.लि. / मु.अ.(वा.) / सी–301 दिनांक–05 / 09 / 2017

विषयः– प्रदेश के जिले में शहर के बाहरी इलाकों मे अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में नये विद्युत तंत्र की स्थापना हेतु योजना के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण),
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा क्षेत्र।

कृपया उपरोक्त विषयक समस्त डिस्काम के साथ प्रबन्ध निदेशक, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा को सम्बोधित निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ के पत्र सं0 67/पीएसडीसी/पाकालि/2017 दिनांक 22.08.2017 (छायाप्रति सलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा उपरोक्त योजना के परिपेक्ष्य मे विद्युत प्रदाय संहिता– 2005 मे यथोचित संशोधन हेतु माननीय नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका दाखिल की गयी थी। माननीय नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के 8वें संशोधन में यथा आवश्यक परिवर्तन कर विद्युत प्रदाय संहिता (9वॉ संशोधन) दिनाक 21.08.2017 को जारी कर दिया गया। विद्युत प्रदाय संहिता (9वॉ संशोधन) मे, बिना विस्तार मे गये, योजना के अनुसार एक मुश्त अथवा किश्तो मे भुगतान को अनुमोदित किया गया है अतः किश्तो की सुविधा योजना के अनुसार ही देय होगी। अन्य शर्ते भी योजना के अनुसार ही प्रवृत्त होगी।

उक्त की छायाप्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त संशोधन एवं योजना की प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

(आर0बी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांक: 5921 / प्र.नि. / द.वि.वि.नि.लि. / मु.अ.(वा.) / सी–301 दिनांक– 05 / 09 / 2017

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण मण्डल / वि0न0वि0म0, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण खण्ड / वि0नं0वि0ख0, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।

संलग्नक–यथोपरि।

(आर0बी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य)

ऊर्जा भवन 220, के.वी. उपसंस्थान, बाईपास रोड, आगरा–282007 फोन–(0562) 2605699 फैक्स–(0562) 2605465
टिप्पणी: पत्रोत्तर देते समय इस कार्यालय का पत्रांक अवश्य लिखें।

Scanned by CamScanner

.जय कुमार सिंह
निदेशक (वाणिज्य)

No. 2212 /NDCAMP/dated 30-8-17

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226 001
ई–मेल–directorcom.uppcl@yahoo.in
☎ : 0522–2287806(O)
(फैक्स) : 0522–2287806
CIN:U32201UP1999SGC024928

5921
3/8/17

संख्याः 67 /पीएसडीसी/पाकालि/2017

दिनांकः 22 अगस्त, 2017

विषयः **प्रदेश के जिले में शहर के बाहरी इलाको में अविकसित/अविद्युतिकृत कालोनियों में नये विद्युत तंत्र की स्थापना हेतु योजना के सम्बन्ध में।**

प्रबंध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0
पश्चिमाचल–मेरठ/दक्षिणांचल–आगरा/
पूर्वान्चल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ।
केस्को , कानपुर।

CE (Com)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा शहरो के बाहरी इलाको में अविकसित/अविद्युतिकृत कालोनियो में विद्युतिकरण कार्य को और सुगम बनाने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की गयी एवं उपरोक्त योजना के परिपेक्ष्य में विद्युत प्रदाय् संहिता 2005 में यथोचित संशोधन हेतु माननीय नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका दाखिल की गयी थी। माननीय नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के 8वें संशोधन में यथा आवश्यक परिवर्तन कर विद्युत प्रदाय संहिता (9वॉ संशोधन) दि0 21.08.2017 को जारी कर दिया गया। विद्युत प्रदाय संहिता (9वा संशोधन) में, बिना विस्तार में गये, योजना के अनुसार एक मुश्त अथवा किश्तो मे भुगतान को अनुमोदित किया गया है, अतः किश्तो की सुविधा योजना के अनुसार ही देय होगी। अन्य शर्ते भी योजना के अनुसार ही प्रवृत्त होगी।

C-30

DC (Com)

उपरोक्त संशोधन एवं योजना की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नकः यथोपरोक्त।

समस्त अधिशासी अभियन्ता को 2 दिन में प्रसारित करें 3/9/17

22/8/17
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक(वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्न के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

all CE/SE/EE (D)

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक(वाणिज्य)

Scanned by CamScanner

Electricity Supply Code (Ninth Amendment), 2005

No.: UPERC/Secy/Regulations/Supply Code/2017/

Dated: 21.08.2017

Notification

Miscellaneous

Whereas the U.P. Electricity Supply Code 2005(Fifth Amendment) was notified on 25th August, 2014, in accordance with Sections 176 and 183 of Electricity Act 2003 and all other enabling powers in this behalf;

And whereas, the licensees are facing difficulties in some of the provisions of the Electricity Supply Code 2005, and amendments thereof and have requested further for some amendments in the Electricity Supply Code

And whereas, by reason of some of the said difficulties in the Supply Code 2005 some addendums / substitution / deletions in the Electricity Supply Code 2005 and amendments thereof, have been made

And whereas, as a result of the above, and for other substantial reasons it has become necessary to amend certain provisions of the Supply Code 2005 and amendments thereof;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 50 of the Electricity Act and the provisions of the Supply Code 2005 and all other enabling powers in this behalf, the Uttar Pradesh State Electricity Regulatory Commission makes the following Electricity Supply Code (Ninth Amendment), 2017 namely

1 **Short title and commencement** - (1) This Code shall be called the Electricity Supply Code (Ninth Amendment), 2017

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette

(3) The provision under 6.8 (a)(iii) inserted by Eighth Amendment shall be abolished and new proviso under 4.9 (k) shall be added

2. **Addition of additional proviso under 4.9 (k)**

Scanned by CamScanner

For the purpose of electrification in undeveloped/ un-electrified colonies within or adjoining any urban area whose distribution network has not been developed by the developer, it is provided that the distribution licensee shall develop the necessary distribution network to facilitate connections in such colonies, for which a scheme shall be prepared by the licensee. To meet the cost of development of distribution network a sum of Rs. 35 per square feet of the plot size shall be charged by the licensee. This scheme will be implemented in those colonies where 25% of plot owners have built their houses and out of these 25% plot owners 50% residents would have deposited the development charges @Rs. 35 per square feet of their plot size in one lump sum or in instalments, as per the scheme envisaged by the licensee. The development charges shall also be payable by those plot/house owners who have taken the connections through temporary arrangement. For development of the network, the HT lines shall be built on STP and LT Lines on PCC Poles.

If the total cost of electrification of the colony is not recovered by the licensee through payments of @ 35 per square feet, the remaining amount can be recovered by the licensee as Capex in the ARR.

This scheme would not be applicable in the colonies developed by Development Authorities / Housing Boards as the charges for developing the electrical infrastructure is already included in the price charged by these organizations for the plots.

(S.K. Agarwal)
Member

(Desh Deepak Verma)
Chairman

Dated: 21.08.2017

Scanned by CamScanner

संलग्नक

प्रदेश के जिलो में शहर के बाहरी इलाकों में स्थित अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत तंत्र स्थापित करने से सम्बन्धित योजना का प्रारूप

प्रदेश के प्रत्येक जिले मे शहर के बाहरी इलाको में कुछ विकासकर्ताओं ने प्लाटिंग तो कर दी है, परन्तु रहन-सहन के लिए आवश्यक सुविधा हेतु इन्फास्ट्रक्चर का विकास नही कराया है अर्थात वहाँ कोई भी विद्युत तंत्र नही है, जिससे वहाँ के निवासी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है या अवैध रुप से विद्युत का उपभोग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों मे यद्यपि विद्युतीकरण हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत पोषित है किन्तु शहर के बाहरी क्षेत्र मे विद्युतीकरण हेतु कोई भी योजना अभी तक नहीं बनी है।

उपरोक्त अध्यासियों की समस्याओं व शासन की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नवत योजना प्रस्तावित है :-

1. शहर के बाहरी क्षेत्रों में प्लाटिंग का भवन निर्माण हो गये हैं किन्तु कतिपय कारणों से पूर्व में कुछ अध्यासियों को लम्बी दूरी (40 मीटर से अधिक) के विद्युत संयोजन प्रदान कर दिये गये हैं अथवा वर्तमान में लम्बी दूरी के कारण संयोजन निर्गत नही किये जा पा रहे हैं, ऐसे अध्यासियों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से सुदृढ़ विद्युत तंत्र का निर्माण करना आवश्यक है। इस श्रेणी के अन्तर्गत सभी अध्यासियों से संयोजन राशि के अतिरिक्त उनकी प्लाट की रजिस्ट्री में वर्णित क्षेत्रफल के अनुसार रू0 35 वर्ग फीट की दर से विद्युत तंत्र निर्माण हेतु निम्नानुसार धनराशि जमा कराया जाना प्रस्तावित है -

   i. 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लाट के लिये रू0 35 प्रति वर्ग फीट की दर से एकमुश्त जमा कराया जाये।

   ii. 1000 वर्ग फीट या उससे कम क्षेत्रफल वाले प्लाट के लिये रू0 35 प्रति वर्ग फीट की दर से एकमुश्त जमा कराया जाये।

   अथवा

   रू0 15 प्रति वर्ग फीट की दर से एकमुश्त तथा अवशेष राशि रू0 1 प्रति वर्ग फीट प्रति माह की दर से 24 समान किश्तों में ली जायेगी, जिसमें कुल रू0 35 से अधिक ली गई धनराशि ब्याज के रूप में देय है। उपभोक्ता द्वारा किश्तों का भुगतान उसके बीजकों में जोड़कर प्राप्त किया जायेगा। किश्त का भुगतान न किये जाने पर बीजकों के भुगतान से सम्बन्धित विलम्ब अधिभार एवं विच्छेदन की व्यवस्था नियमानुसार प्रभावी होगी।

2. इस नवीन विद्युत तंत्र के दायरे में पूर्व के लम्बी दूरी के संयोजन प्राप्त अध्यासी भी इस योजना के अन्तर्गत आयेंगे और उन्हें भी उपरोक्त 1 (i) अथवा 1 (ii) के अनुसार धनराशि जमा करना आवश्यक होगा।

3. इस योजना के अन्तर्गत शहरों की बाहरी सीमा पर स्थित ऐसी अविकसित कालोनी चिन्हित की जायेंगी जहाँ न्यूनतम 25 प्रतिशत प्लाटों पर भवन निर्माण हो गये हों तथा उन में से 50 प्रतिशत भवन स्वामियों ने उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि जमा करा दी हो।

25/7

मु०अ० (आर०ए०)

Scanned by CamScanner

4. इन योजनाओं में 11 के0वी0 का तंत्र स्टील ट्यूबलर पोल पर तथा एल0टी0 लाईनों को पी0सी0सी0 पोल पर ए0बी0सी0 केबल डालकर विकसित किया जायेगा, जिससे विद्युत चोरी की सम्भावना न हो।

5. इस योजना के अन्तर्गत 'कलर कोडिंग' कर विद्युत उपकरण स्थापित कर विद्युतीकरण किया जायेगा जिससे इस योजना के क्रियान्वयन में कोई संशय न रहे। इस तरह के नव निर्मित तंत्र से दिये जाने वाले प्रत्येक अध्यासी द्वारा उपरोक्त धनराशि एवं उसकी किश्तों को जमा कराना क्षेत्र के अवर अभियन्ता का पूर्ण दायित्व होगा एवं इसका अनुश्रवण उपखण्ड अधिकारी स्तर पर किया जायेगा।

6. योजना के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित अविकसित कालोनियों के सम्बन्ध में तैयार किये गये एस्टीमेट मितव्ययता के साथ इस प्रकार तैयार किये जायेंगे कि एस्टीमेट की धनराशि में आवेदकों द्वारा प्राप्त धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् शेष धनराशि 2–3 वर्षों में अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के रूप में सम्बन्धित वितरण निगम को प्राप्त हो जाये।

7. इस योजना हेतु तैयार एस्टीमेट के औचित्य तथा उसके परीक्षण हेतु डिस्काम स्तर पर एक "स्क्रीनिंग समिति" का गठन होगा जिसमें चिन्हित कालोनी क्षेत्र से सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी सदस्य होगा। स्क्रीनिंग समिति की बैठक पाक्षिक रूप से होगी।

8. ऐसे विकासकर्ता की भूमि जिसने प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर विकास हेतु धन लिया हो एवम विकासकर्ता बीच में ही अविकसित भूमि को छोड़कर चला गया हो वहाँ यह योजना लागू नहीं की जायेगी। समस्त अध्यासियों द्वारा निर्धारित पूर्ण राशि के भुगतान हेतु सहमति पर कार्यान्वित किये जाने पर विचार हो सकता है।

9. इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् किसी भी स्थिति में लम्बी दूरी के संयोजन की स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी/अधिकारक सीधे जिम्मेदार होंगे तथा नियम की अवहेलना पर विभागीय नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

10. इस योजना से आच्छादित क्षेत्र में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत संयोजन निर्गत नहीं किये जायेंगे।

11. यह योजना पब्लिक लैण्ड (नजूल/सरकारी) पर लागू नहीं होगी।

12. बिलिंग साफ्टवेयर में इन संयोजनों को अलग से चिन्हित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

13. इस योजना में किये जाने वाले व्यय की धनराशि को पृथक लेखा शीर्ष द्वारा लेखांकित किया जायेगा।

14. इस योजना में निर्गत किये जाने वाले संयोजनों हेतु सम्बन्धित वितरण क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता अधिकृत होंगे।

यह योजना प्रत्येक डिस्काम में शहर के बाहर घनी बसी अविकसित कालोनियों को प्राथमिकता देते हुए चिन्हित कर कार्यान्वित होगी। प्रारम्भ में समस्त डिस्कामों द्वारा चिन्हित विशेष कालोनियों पर होने वाला कुल समेकित व्यय अधिकतम रू0 100 करोड़ की धनराशि तक सीमित होगा।

(नीरज अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0)

मु0अ0 (आर0ए0यू)
उ0प्र0पा0का0लि0

Scanned by CamScanner